

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

दशरथ स-तरो आदि

दावा बाबत :- 88 RTH Act

नुकदमा नम्बर :- 382/2021

निर्णय दिनांक :- 17-12-2021

वादी की ओर से वकील गौरव शर्मा की व प्रतिवादी सं० / की ओर से वकील श्रीमती शारदा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती शारदा आसन के खाता सं० 24/19 के खाते सं० 104, 105, 106, 104, 105 कुल 28,51,80 है वारंती लक्ष्मी मुनि में अंकरलाल के नाम से पा21/28578 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी यह है उक्त वारंती वाद मुनि में से अंकरलाल का नाम कलमजबन किया जाकर वादी दशरथ को खातेदार काशकार घोषित किया जाता है - योंकि प्रतिवादी सं० ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर मुन्ध कर दिया है इसलिए त्याग किने गये हिस्से पर पंजीयन किताब को यथ पंजीयन मुल्क अदा करने व शक्ति लक्ष्मी मुनि बैंक के खर्च है तो खर्च होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकरलाल नाम किया जावे। राजीगाम को डिली का गागा पदा लिये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (शिफारि प्रभाती)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 सहायक प्रशासन (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़